पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने जनगणना–2027 के द्वितीय चरण के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित किया

जनगणना–2027 के द्वितीय चरण में उ0प्र0 में 16 से 30 नवम्बर, 2026 तक स्व–गणना एवं 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक घर–घर जनगणना की जाएगी

जनगणना–2027 से प्राप्त होने वाले प्रामाणिक, सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे : मुख्यमंत्री

समाज के वंचित वर्गों की सही पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा उनके समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करने में जनगणना–2027 महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी

जनगणना–2027 के प्रथम चरण में मकानों की गणना की गई थी, जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जाएगी

जिलाधिकारी स्वयं भारत के पहले डिजिटल जनगणना अभियान का नेतृत्व करें और प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करें, नियमित निगरानी से चुनौतियों एवं व्यवधानों का समय रहते समाधान किया जा सकता

प्रशासन अभियान का नेतृत्व करे, जनप्रतिनिधि व्यापक जनजागरूकता में सहभागी बनें, आमजन सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा जनगणना से जुड़े कार्मिक सत्यनिष्ठा एवं जिम्मेदारी से दायित्वों का निर्वहन करें, सामूहिक प्रयासों से जनगणना–2027 सफल होगी

कार्मिकों को जनगणना कार्य को आगामी एक दशक में विकसित उ0प्र0 और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने वाला राष्ट्रीय दायित्व समझकर करना चाहिए

स्व–गणना को प्रोत्साहित करने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों दृश्य–श्रव्य माध्यमों एवं प्रिण्ट मीडिया से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए

युवा स्व–गणना की सुविधा का बेहतरीन उपयोग करें, अपने माता–पिता, बुजुर्गों एवं पड़ोसियों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में सहायता प्रदान करें

स्वगणना पूरी होने के उपरान्त प्राप्त पहचान संख्या सुरक्षित रखें, जनगणना कार्मिकों के घर पहुंचने पर इसे साझा करें

किसी भी समस्या अथवा व्यवधान के समाधान के लिए जनगणना हेल्पलाइन नम्बर '1855' जारी किया गया

लखनऊ : 16 नवम्बर, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनगणना–2027 से प्राप्त होने वाले प्रामाणिक, सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनके माध्यम से सरकार को भविष्य की योजनाओं के निर्धारण तथा प्रशासन को इन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति की वास्तविक जानकारी के

लिए प्रमाणिक आंकड़े आवश्यक हैं। आज पूरी दुनिया में आंकड़ों की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह प्रभावी ढंग से अपनी कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू कर सकेगा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां भारत के पहले डिजिटल जनगणना अभियान जनगणना–2027 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवम्बर, 2026 तक चलने वाली स्व–गणना एवं आगामी 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक चलने वाली घर–घर जनगणना की प्रक्रिया के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनगणना–2027 से सम्बन्धित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गयी।

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का प्रत्येक छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है और दुनिया की आबादी के अनुपात में प्रत्येक 36वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। इसलिए जनगणना–2027 की प्रदेश के विकास में विशेष भूमिका होगी। अब तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं जनगणना–2011 के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं। सही जानकारी के अभाव में कई बार समाज का बड़ा वर्ग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाता है। जनगणना के दौरान किसी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार का नाम छूट जाने पर वह योजनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाता और पात्र होने के बावजूद उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न चरणों में उन्होंने स्वयं अनुभव किया है कि जनगणना में उपेक्षा अथवा सही जानकारी एकत्र न होने के कारण समाज का बड़ा वर्ग लम्बे समय तक योजनाओं से वंचित रहता है।

मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समाज अत्यन्त विपन्नता में जीवनयापन करता रहा है। इनके पास जिस जमीन पर झोपड़ी बनी होती थी, उसका भी मालिकाना अधिकार नहीं था। झोपड़ियां फूस की और दीवारें मिट्टी की होती थीं। अनेक परिवारों के पास राशन कार्ड तक नहीं था और न ही उन्हें अन्य सरकारी सुविधाएं मिल पाती थीं। यदि पूर्व की जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति और विपन्नता का ईमानदारी से उल्लेख किया गया होता तो यह समाज आजादी के 70 वर्षों बाद तक भुखमरी के कगार पर नहीं रहता। यह सम्पूर्ण तंत्र की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश का दायित्व मिलने के बाद मुसहर समाज के लोगों को राशन कार्ड एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। उस समय पता चला कि अत्यन्त गरीब होने के बावजूद अनेक परिवार योजनाओं की पात्रता सूची में शामिल नहीं थे। इसके उपरान्त राज्य सरकार ने उनके लिए अलग से योजना बनाकर उन्हें संतृप्त किया। समाज के ऐसे ही अन्य वंचित वर्गों की सही पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा उनके समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करने में जनगणना–2027 महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

कई गांवों में तीन–तीन विद्यालय हैं, जबकि कहीं कई किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। यह भी आवश्यकताओं के सही आकलन और आंकड़ों की कमियों का परिणाम है। विश्वसनीय आंकड़ों से यह निर्धारित किया जा सकेगा कि कहां विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र और सड़क की आवश्यकता है तथा किन सुविधाओं से लोगों का जीवन अधिक सुगम बनाया जा सकता है। किसी भी कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए आंकड़ा आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर नियोजन आवश्यक है।

जनगणना–2027 के प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण एवं मकानों की गणना (हाउस लिस्टिंग एण्ड हाउसिंग सेन्सस) का कार्य प्रदेश में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। अब द्वितीय एवं निर्णायक चरण के अन्तर्गत जनसंख्या गणना प्रारम्भ हो रही है। प्रथम चरण में मकानों की गणना की गई थी, जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा एवं अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी दर्ज की जाएगी।

इस महाभियान की सफलता उत्कृष्ट प्रशासनिक समन्वय, व्यापक जनभागीदारी एवं जनजागरूकता पर निर्भर करेगी। प्रत्येक जिलाधिकारी स्वयं अभियान का नेतृत्व करें और प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करें। नियमित निगरानी से चुनौतियों एवं व्यवधानों का समय रहते समाधान किया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश में मण्डल, जनपद, तहसील, विकासखण्ड, नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध है।

प्रदेश में 18 मण्डल मुख्यालय, 75 जनपद, 350 तहसीलें, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतें, 825 विकासखण्ड तथा 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1,04,004 राजस्व ग्राम हैं। इन प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से नियमित समीक्षा की जा सकती है। नगर निकाय स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर अधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करें। इसके बाद जिलाधिकारी आधे घण्टे में पूरे जिले की स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि कहां कार्य बेहतर हुआ, कहां प्रगति अपेक्षित है और कहां चुनौती सामने आ रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी समस्या अथवा व्यवधान के समाधान के लिए जनगणना हेल्पलाइन नम्बर '1855' जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संसाधनों एवं समन्वय की निगरानी करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों में जनगणना एवं स्व–गणना के प्रचार–प्रसार में योगदान देंगे। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी तथा नगर निकाय एवं ग्राम स्तर पर सम्बन्धित चार्ज अधिकारी अन्य अधिकारियों के साथ निरन्तर संवाद एवं समन्वय बनाए रखेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सांसद, विधायक, सभी स्तरों के नगर निकायों के अध्यक्ष व सदस्य तथा समस्त स्तर की पंचायतों के प्रमुख व सदस्य इस महाभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। यह केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का कार्य है।

जनगणना कार्य में लगे प्रगणक एवं पर्यवेक्षक जब किसी परिवार की चौखट पर पहुंचें तो स्मरण रखें कि वे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं। उनके द्वारा एकत्र की गई सही जानकारी राष्ट्र की प्रगति का आधार बनेगी, जबकि गलत आंकड़े देश के हित में नहीं होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त करना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

जनगणना कार्मिकों का परिवारों के साथ व्यवहार विनम्र, धैर्यपूर्ण एवं संवेदनशील होना चाहिए। कई बार लोगों के मन में भय अथवा संकोच होता है और वे अपनी जानकारी साझा करने से बचते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रेमपूर्वक जानकारी की गोपनीयता तथा प्रदेश एवं देश के विकास में जनगणना के महत्व के बारे में समझाया जाए। जनगणना को केवल सरकारी ड्यूटी न मानकर आगामी एक दशक में विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने वाला राष्ट्रीय दायित्व समझकर कार्य करना चाहिए।

16 से 30 नवम्बर, 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में आमजन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं तथा अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरान्त 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 तक जनगणना कार्मिक घर–घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से जनगणना को जनजागरूकता के माध्यम से जनान्दोलन बनाने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति गणना से छूटने न पाए और किसी का नाम दोबारा दर्ज न हो। स्व–गणना को प्रोत्साहित करने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों दृश्य–श्रव्य माध्यमों एवं प्रिण्ट मीडिया से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। अभियान में लगे सभी कार्मिकों के सहयोग एवं सम्मान को भी सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनगणना कार्मिक केवल एक स्थान पर बैठकर आंकड़े एकत्र न करें, बल्कि प्रत्येक घर तक पहुंचकर वास्तविक जानकारी प्राप्त करें। दूरस्थ बस्तियों, किराएदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के ऐसे वर्गों तक विशेष रूप से पहुंच बनाई जाए, जिन तक सामान्यतः जनजागरूकता का संदेश पहुंचाना कठिन होता है। नई पीढ़ी तक सोशल मीडिया एवं प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दूरस्थ गांवों में रहने वाले बुजुर्गों, निराश्रित व्यक्तियों और घुमन्तू समुदायों तक भी पहुंचना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से अपील की कि वे 16 से 30 नवम्बर, 2026 के मध्य स्व–गणना की सुविधा का बेहतरीन उपयोग करें। अपने माता–पिता, बुजुर्गों एवं

पड़ोसियों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में सहायता प्रदान करें। स्वगणना पूरी होने के उपरान्त प्राप्त पहचान संख्या सुरक्षित रखें, ताकि आगामी 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 के मध्य जनगणना कार्मिक घर पहुंचें, तो उनके साथ इसे साझा किया जा सके। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर '1855' का उपयोग किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासन इस अभियान का नेतृत्व करे, जनप्रतिनिधि व्यापक जनजागरूकता में सहभागी बनें, आमजन सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा जनगणना से जुड़े सभी कार्मिक सत्यनिष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इन सामूहिक प्रयासों से जनगणना–2027 सफल होगी और आने वाले दशक के लिए सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होंगे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जनगणना देश एवं प्रदेश के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। इसके विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी। जनगणना परिसीमन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है। 16 से 30 नवम्बर, 2026 तक स्व–गणना तथा 01 दिसम्बर, 2026 से घर–घर जाकर जनसंख्या गणना होगी। प्रत्येक व्यक्ति से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से सही जानकारी देने, जनगणना कार्मिकों को सहयोग करने तथा अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की अपील की।

निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय श्रीमती शीतल वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनगणना–2027 के द्वितीय चरण के लिए लगभग 5.63 लाख प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण किया गया है। प्रथम चरण के 3.90 लाख के मुकाबले द्वितीय चरण में 4.78 लाख प्रगणक खण्ड निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों, 18 मण्डलों, लगभग 900 नगरीय निकायों एवं एक लाख से अधिक राजस्व ग्रामों में जनगणना होगी। जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। जेल, अनाथालय, नारी निकेतन, झुग्गी बस्तियों, बेघर आबादी एवं रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

इस अवसर पर विधायक डॉ0 नीरज बोरा एवं श्रीमती जय देवी, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री एस0वी0एस0 रंगा राव सहित जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

————————

PN-CM-Census-16 November, 2026